जनपद न्यायालय, सुलतानपुर।

नीलामी आदेश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, सुलतानपुर के कम्प्यूटर अनुभाग के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी दिनांक 10.12.2025 को समय सांय 4.30 बजे नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, सुलतानपुर में नीलामी समिति के द्वारा की जायेगी।

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियमों एवं शर्तों की जानकारी जनपद न्यायालय, सुलतानपुर के नोटिस बोर्ड, नजारत अनुभाग अथवा न्यायालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी प्रकार से भरे हुए आवेदन पत्र मय धरोहर धनराशि के दिनांक 09.12.2025 तक नजारत अनुभाग में सांय 4.30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दिये जायें। इसके पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

किसी भी बोली को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।

इस नोटिस को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये एवं इसकी सूचना न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाये।

(संध्या चौधरी)
अध्यक्ष नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, सुलतानपुर।

प्रतिलिपिः–

1. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. कम्प्यूटर अनुभाग को न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. जिलाधिकारी, सुलतानपुर के नोटिस बोर्ड पर लगाये जाने हेतु।
4. जिला सूचना अधिकारी को प्रसार किये जाने हेतु।

जनपद न्यायालय, सुलतानपुर।

नीलामी के नियम व शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, सुलतानपुर के कम्प्यूटर अनुभाग के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटरों उपकरणों की नीलामी दिनांक 10.12.2025 को नियत की गयी है, जो कि उक्त दिवस को जनपद न्यायालय, सुलतानपुर के नजारत अनुभाग में सांय 4.30 बजे की जायेगी। इस नीलामी की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं:–

1. उक्त कम्प्यूटर अनुभाग के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी हेतु न्यूनतम धनराशि रू0 30,000/–निर्धारित की गयी है।
2. नीलामी के लिए आवेदन फार्म रू0 200/–का भुगतान कर नजारत अनुभाग से दिनांक 08.12.2025 तक प्राप्त किये जा सकतें हैं।
3. नीलामी हेतु आवेदन कर्ता को नकद प्रतिभूति के रूप रू0 5,000/–आवेदन फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
4. सभी प्रकार से भरे हुए आवेदन पत्र मय प्रतिभूति धनराशि नजारत अनुभाग में दिनांक 09.12.2025 को सांय 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा कर दिया जाय। इस तिथि के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज का 1 फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा आधार कार्ड की मूल प्रति मिलान के लिए दिखाना होगा। इसके अभाव में किसी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा।
6. नीलामी की अन्तिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर को होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।
7. किसी भी दशा में नीलामी राशि निर्धारित न्यूनतम धनराशि से कम स्वीकार नही की जायेगी।
8. नीलामी प्राप्त करने वाले को अन्तिम रूप से स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि नकद उसी तिथि अथवा अगले कार्य दिवस को नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी।
9. नीलामी प्राप्त कर्ता को कम्प्यूटर उपकरणों को हटाने के लिए नीलामी सम्पन्न होने के दूसरे तिथि से अधिकतम एक सप्ताह का समय प्रदान किया जायेगा।

27/11/25
(राकेश)
अपर जिला जज/एफ0टी0सी0-I,
सुलतानपुर
सदस्य

Nisha Singh 27.11.2025
(निशा सिंह)
अपर जिला जज,
कोर्ट नं0–3, सुलतानपुर
सदस्य

(संध्या चौधरी)
अपर जिला जज,
कोर्ट नं0–1, सुलतानपुर
अध्यक्ष

Seen 28/11/25

DISTRICT JUDGE
SULTANPUR

जनपद न्यायालय, सुलतानपुर।

वर्ष 2025–26

निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी हेतु आवेदन पत्र

कम सं0–

फोटो

1. आवेदक का नाम...

2. पिता का नाम...

3. स्थायी पता (पते का प्रमाण पत्र संलग्न होगा)..

   ....

4. पत्र व्यवहार का पता...

   ....

5. पहचान पत्र (वोटर कार्ड/पैन कार्ड)...

6. आधार संख्या...

7. मोबाइल/टेलीफोन नं0..

8. जमानत धनराशि का विवरण..

9. दो जमानतदारों के नाम पता व मोबाइल नं0...

   1. .... 2. ....

   ....

   ....

   ....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर